न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प बयाना

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 59/2008 (223 आर0टी0एक्ट0)
आर.सी.एम.एस. संख्या :– 2008/00018

उनवान

1. भूलीराम पुत्र चिरंजी (मृतक)
   - 1/1. कैलाशचन्द पुत्र स्व0 भूलीराम
   - 1/2. महेशचन्द पुत्र स्व0 भूलीराम
   - 1/3. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 भूलीराम
   - 1/4. मुन्नीलाल पुत्र स्व0 भूलीराम
   - 1/5. चन्द्रभान पुत्र स्व0 भूलीराम
   - 1/6. उगन्ती पुत्री स्व0 भूलीराम

   } पुत्रान स्व0 भूलीराम जाति जांगिड ब्राहम्ण नि0 सलैम्पुर खुर्द तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. मनोहरी पुत्र भौरया
2. चन्दू नवीरा भौरया } पुत्रान नत्थीलाल
3. बच्चू नवीरा भौरया }
4. रामेश्वर पुत्र सोनी
5. अंगूरी वेवा रामदयाल
6. जयप्रकाश } पुत्र रामदयाल
7. रोशन }
8. चन्द्रवती
9. मुन्नी } पुत्रीयान रामदयाल
10. सुनीता
11. राधा
12. खिल्लू पुत्र रामहेत (मृतक)
    - 12/1. बच्चू
    - 12/2. अशोक
    - 12/3. रामरतन
    - 12/4. लौकी
    - 12/5. बद्री

    } पुत्रगण स्व0 देवीराम

    - 12/6. सखी
    - 12/7. कल्लो
    - 12/8. सीता
    - 12/9. गुल्ला

    } पुत्रीयान स्व0 देवीराम

} जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासी सलैमपुर खुर्द तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

..... असल रैस्पोडेण्ट

13. खैमराज } पुत्रान किशोरी
14. राजबहादुर }
15. रमेश पुत्र प्यारे
16. रामचरन पुत्र चिरंजी (मृतक)
    - 16/1. नर्वदा पत्नी
    - 16/2. रामभरोसी
    - 16/3. जगदीश
    - 16/4. राधेश्याम
    - 16/5. मुकेश
    - 16/6. संतोषी पुत्री

    } पुत्रान स्व0 रामचरन

} जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासी सलैमपुर खुर्द तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

17. राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर।

..... तरतीवी रैस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 28.08.2008 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर प्रकरण संख्या 221/2004 उनवानी भूलीराम बनाम मनोहरी वगै0।

अभिभाषकगण :–

1. अभिभाषक अपीलाण्ट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित ।
2. अभिभाषक रैस्पो0 श्री सुघड सिंह उपस्थित ।

निर्णय दिनांक :–30.07.2018

1. यह अपील इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 223 के तहत, उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय दिनांक 28.08.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम सलेमपुर खुर्द में अपीलाण्ट/वादी एवं असल व तरतीवी रैस्पो0/प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी है, जो अभी अविभाज्य है। विवादित आराजी में अपीलाण्ट/वादी व रैस्पो0/प्रतिवादी संवत 2012 एवं 2016 से राजस्थान काश्तकारी व जमींदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू हाने के दिन से अपने हिस्सानुसार काबिज चले आ रहे हैं। परन्तु असल रैस्पो0/प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर सम्पूर्ण आराजी अपने नाम करा ली है। उक्त गलत इन्द्राजों के आधार पर रैस्पो0/प्रतिवादीगण आये दिन विवादित आराजी से अपीलाण्ट/वादी को बेदखल करने की धमकी देते हैं। चूंकि विवादित आराजी हमेशा से शामलात काश्त की रही है एवं उसका विभाजन नहीं हुआ है अतः अपीलाण्ट/वादी, विवादित आराजी में 1/4 हिस्से का विभाजन करा पाने का हकदार है। अतः वाद प्रस्तुत कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून होने के कारण काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 के पिता विवादित भूमि में निष्फ हिस्से के एवं निष्फ हिस्से में रैस्पो0 असल के पिता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के दिन दर्ज थे। अतः अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 वाई ऑपरेशन ऑफ लॉ स्वतः ही खातेदार हो गये। लिहाजा अकेले असल रैस्पो0 की खातेदारी बाद में दिनांक 25.02.1961 को जरिये नामान्तकरण संख्या 274 खातेदार दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि को बिना किसी कारण बताये अपीलाण्ट एवं रैस्पो0 की पैतृक सम्पत्ति ना मानने में कानूनी भूल की है। जबकि अपीलाण्ट एवं रैस्पो0 एक ही पूर्वज की सन्तान हैं, जो संवत 2009 की जमाबन्दी के अनुसार एक ही साथ एक ही खाते में दर्ज है। विवादित आराजी का किसी प्रकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का विभाजन पत्रावली पर उपलब्ध व साबित नहीं है हिन्दु संयुक्त परिवार की सम्पत्ति तब तक अविभाज्य माने जाने का नियम है जब तक कि रिकार्ड व विभाजन साबित ना हो जाये। ऐसी स्थिति में विवादित सम्पत्ति में अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 का निष्फ हिस्सा ना मानकार सम्पूर्ण आराजी पर असल रैस्पो0 को खातेदार मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित आराजी असल रैस्पो0 के पूर्वजो की स्वः अर्जित शिकमी काश्त व मौरूसी की है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना की जाकर, अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित सात तनकियॉ निर्धारित की हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

6. <u>तनकी संख्या 01</u> **"आया वादी वाद पत्र की खण्ड संख्या 02 में वर्णित आराजी में 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है"** अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2009 में अपीलांट 1/8 हिस्से का गैर मौरूसीदार अवश्य दर्ज है, परन्तु प्रश्नगत आराजी के पूर्ण रकवे पर, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय काश्त रामहेत दर्ज होने से, कानूनन रामहेत को खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अपीलाण्ट ने अपने कथित कब्जे को सिद्ध करने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी उचित ही विरूद्ध अपीलांट/वादी तय की है। जिसमें हम हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं।

7. <u>तनकी संख्या 02</u> **"आया असल प्रतिवादीगण के नाम व उनके पिता व पूर्वजों के नाम संवत 2018 लगायत ताहाल व इन्तकाल संख्या 274 दिनांक 25.02.1961 वादी के मुकाबले नल एण्ड वाईड हैं तथा वादी उन्हे कलमजन करा पाने का अधिकारी है"** अधीनस्थ न्यायालय के इस तनकी बाबत् निष्कर्ष में हमे कोई त्रुटि नजर नहीं आती है।

8. <u>तनकी संख्या 03</u> **" आया वादी विवादित आराजी में से 1/8 हिस्सा का विधिवत बॅटवारा करा पाने का अधिकारी है"** तनकी संख्या 01 पर आधारित है। चूंकि तनकी संख्या 01 विरूद्ध अपीलाण्ट/वादी पायी गयी है; अतः अपीलाण्ट/वादी का विवादित आराजी में से 1/8 हिस्सा का विभाजन कराने का तो प्रश्न ही नहीं बनता।

9. <u>तनकी संख्या 04, 05 व 06</u>, तनकी संख्या 01 अपीलाण्ट/वादी के खिलाफ पाए जाने के कारण, इन तनकी बाबत् विवेचना की प्रासंगिकता नहीं रहती है।

10. <u>अनुतोष</u> – समस्त तनकियात का निस्तारण किया जा चुका है। अपीलाण्ट अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को सिद्ध करने में सफल नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तनकियों को तय करते समय, प्रत्येक तनकी पर कारण सहित उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर, अपना निष्कर्ष अंकित करते हुए, अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय तनकीवार तार्किक है। अतः हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के आदेश दिनांक 28.08.2008 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

12. निर्णय आज दिनांक 30.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official